फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री सुरजमल **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 122/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 09.05.2023 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प मावली में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण व राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीगण के पिता/दादा का नाम नन्दराम पिता माणा 1/3 के बजाय नन्दा एवं रामा 1/6–1/6 गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के पिता/दादा का नाम सेटलमेन्ट से पूर्व नन्दराम पिता माणा 1/3 दर्ज था जो वक्त सेटलमेन्ट नन्दराम के बजाय नन्दा व रामा दो व्यक्ति बताकर 1/3 हिस्से को 1/6–1/6 दर्ज कर दिया जो गलत होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी नकल, तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत जवाब मय रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पिता/दादा नन्दा एवं रामा दोनो एक ही व्यक्ति होना जाहिर होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के पिता/दादा का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2881 किता 9 रकबा 1.7159 हेक्टेयर भूमि में खातेदार नन्दा पिता भाणा एवं रामा पिता भाणा हिस्सा 1/6–1/6 के बजाय नन्दराम पिता माणा हिस्सा 1/3 संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया। **(श्रीकान्त व्यास)** **उपखण्ड अधिकारी** **मावली** Signature Not Verified	

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:00:53 IST
Reason: SelfAttested